न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1622-एक/2007 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 2-8-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 600/2006-07 अपील

1- गुरूशरण पुत्र चेतू साकेत ग्राम बगई तहसील मउगंज

2- रामबाबू पुत्र जग्गू 3- बुद्वी पुत्र दसई मृतक द्वारा उत्तराधिकारी पुत्री राजवती ग्राम मिसिरगवां

4- त्रिवेणी पुत्र दसई ग्राम मिसिरगवां

5- भंती पत्नि चेतू निवासी ग्राम बगई

6- नन्दलाल पुत्र भागीरथी ग्राम मिसिरगवां

7- रामसहाय पुत्र जेठू 8- बुद्वीलाल पुत्र मुन्डू

9- गंगा पुत्र अलीने 10- सुखलाल पुत्र सिवदत्त

11- महावीर पुत्र गनपत 12- बैजनाथ पुत्र बैसाख

13- रामपती पुत्र हजारी 14- रघुनाथ उर्फ छोटे पुत्र मुंडू

15- जगजीवन पुत्र ओसेरी 16- नमर्द पुत्र बहोरी

17- जगन्नाथ पुत्र ददई 18- दीना पुत्र भागीरथी सभी ग्राम मिसिरगवां तहसील मउगंज

19- जोखू उर्फ जोखई पुत्र साकेत पुत्र संपत

20- लूसन पुत्र गवाली 21- रघुनाथ पुत्र अलगू उर्फ जुगल

22- जागेश्वर पुत्र दसरथ 23- राममन पुत्र सोहन साकेत

24- राममिलन पुत्र अलगू उर्फ जुगल साकेत

25- मोतीलाल पुत्र रामसहाय 26- बैजनाथ पुत्र ददई

27- मोतीलाल पुत्र सुखनन्दन 28- रामलाल पुत्र सुखनन्दन

29- हेरमउ पुत्र ओसेरी 30- द्वारका पुत्र भागीरथी

31- रामावतार उर्फ मुन्ना पुत्र गंगा

32- बोधनी पत्नि भगवत 33- जमुना पुत्र दसई

34- सुग्रीव पुत्र भागीरथी 35- स्वयंवर पुत्र दशरथ

36- रघुनाथ पुत्र दशरथ 37- विजयभान पुत्र रामसखा

38- शिवदास पुत्र छोटे साकेत 39- बुद्धसेन पुत्र चेतू
40- तुलसी पुत्र छोटेलाल 41- बुद्धसेन पुत्र चेतू
42- गिरजा पुत्र विलासे सभी निवासी ग्राम बगई
मिसिरगवां तहसील मउगंज जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- अयोध्याप्रसाद पुत्र सत्यनारायण
निवासी ग्राम मिसिरगांव
तहसील मउगंज जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक—1 के पैनल लायर)
(अनावेदक—2 सूचना उपरांत अनुपथित - एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 11 -8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 600/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—8—2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी ग्राम बनपाडर ने तहसील न्यायालय में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आवेदकगण ने शासकीय भूमि पर झोंपड़ी डालकर अतिकमण कर लिया है इसलिये कार्यवाही की जाय। तहसीलदार ने झोंपड़ी डालकर किये गये अतिकमणकर्ताओं सूचना जारी कर सुनवाई की एंव जांच उपरांत आदेश पारित किया तथा अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के समक्ष लगभग 41 अपील्स प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने समस्त अपील प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 29—12—2006 से अपील निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत् रखा। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के संयुक्त आदेश दिनांक 29—12—2006 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष एक अपील कमांक 600/2006—07

प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 2—8—2007 पारित करके व्यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28—9—88 जारी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/　निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/　उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 2—8—2007 में निष्कर्ष दिया है कि वाद विचारित भूमि पर माननीय यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28—9—88 जारी की गई है । माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है जिसके कारण अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में गुणदोष पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया है। व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का वाद विचारित होने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से यही स्थिति राजस्व मण्डल में विचारित निगरानी की रहेगी, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 600/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—8—2007 में निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के सम्बन्ध में जो आदेश होंगे — राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी रहेंगे।

5/　उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 600/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—8—2007 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर